उ० प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०), लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com Website- www.uppst.org

पत्र सं० 674 /69/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/म0वि0वि0नि0लि0/विकेन्द्रीकरण दिनांकः– 11-05-2022

निदेशक (वित्त)
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0
कानपुर।

विषयः– मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा कार्मिकों का चयन निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके सी0पी0एफ0 खातों के अंतिमिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 (छायाप्रति संलग्न) एवं तदुपरान्त उक्त कार्यालय ज्ञाप हेतु निर्गत स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या–395/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 23.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 के नियम–49 "Deductions" के बिन्दु सं0–(a) (i) एवं (a) (ii) में प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष 05 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व त्यागपत्र/सेवा निरस्त इत्यादि की स्थिति में अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के अन्तिम भुगतान प्रकरणों में नियोक्तांश एवं उस पर अर्जित ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा पत्रांक–548/अनु0–7/मु0अ0 (हा0) /2018 दिनांक 26.05.2018 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0–41750/2016 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2017 के अनुपालन में विज्ञापन सं0–4/विसेआ/2014 के सापेक्ष चयनित 714 में से 692 टी0जी0–2 का चयन विद्युत सेवा आयोग द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने के आदेश पारित किये गये थे।

उक्त टी0जी0–2 कार्मिकों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके नियुक्ति निरस्तीकरण के आदेश दण्डस्वरूप निर्गत नहीं किये गये है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में निर्णय पारित किये जाने के फलस्वरूप यदि कार्मिकों का चयन निरस्त किया जाता है, तो उसे दण्डस्वरूप निष्कासन नहीं माना जायेगा।

अतएव उपरोक्तानुसार निष्कासित कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खातों के अंतिमीकरण की कार्यवाही ट्रस्ट स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–831/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 07.07.2021 के बिन्दु सं0–2 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–395/14/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 23.03.2022 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),
उ0प्र0पा0का0लि0 एवं ट्रस्टी

पत्र सं० /69/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/म0वि0वि0नि0लि0/विकेन्द्रीकरण/तद्दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
4. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम।
9. लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

10. समस्त लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण–उत्तर पूर्व / दक्षिण–पूर्व / दक्षिण–मध्य / पश्चिम / मध्य / दक्षिण–पश्चिम, गोरखपुर / प्रयागराज / झांसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा।
12. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (स्था0प्र0), उ0प्र0पा0का0लि0, महानगर, लखनऊ।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),
उ0प्र0पा0का0लि0 एवं ट्रस्टी